केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षकों की विभागीय परीक्षा DEPARTMENTAL EXAMINATION OF INSPECTORS OF CENTRAL EXCISE

प्रश्न पत्र — द्वितीय (PAPER – 2) सीमा शुल्क (सपुस्तक) — (CUSTOMS WITH BOOKS)

दिनांक : 18.06.2013 (DATE :18.06.2013)

समय : 2.00 अ0 से 5.00 अ0 (TIME:2.00 PM to 5.00 PM)

उत्तीर्णांक : 50 (PASS MARKS : 50)

- Answer any five questions.
- 2. All questions carry equal marks.
- 3. Candidates have options to answer in Hindi
- 4. Relevant authority must be quoted with all answers.

पूर्णांक : 100 (MAXIMUM MARKS: 100)

टिप्पणी :

- 1. किन्हीं पांच प्रश्नों के उत्तर दीजिये।
- 2. सभी प्रश्नों के अंक समान है।
- 3. परीक्षार्थियों को हिंदी में उत्तर देने का विकल्प है।
- उत्तर के साथ सम्बन्धित अथॉरिटी का उल्लेख करें।

सम्बन्धित पुस्तकें:

- 1. सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52)
- 2. सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 (1975 का 51)
- सीमा शुँल्क नियम एवं विधियां
- 4. विदेशी व्यापार नीति-2009-14
- 5. आयात-निर्यात विधियों की दिग्दर्शिका
- सीमा शुल्क सम्बन्धित अन्य अधिनियम और एदत् द्वारा बनाये गये नियम।
- विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 और तत्सम्बन्धी नियमावली।

CONCERNED BOOKS:

Note:

- 1. The Customs Act, 1962 (52 of 1962)
- 2. The Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975)
- 3. Customs Rules and Procedures
- 4. Foreign Trade Policy-2009-14
- 5. Handbook of Export and Import Procedure
- Customs, Allied Acts and Rules made there under
- The Special Economic Zone Act, 2005 and Rules made there under.

प्रश्न 1. किन्ही पाँच को परिभाषित कीजियेः

Q 1. Define any five of the following.

- (क) सीमा शूल्क परिक्षेत्र
 - (ख) निर्धारण
 - (ग) उचित अधिकारी
 - (घ) वस्तुए
 - (ङ) भारतीय सीमा शुल्क जल क्षेत्र
 - (च) स्थल सीमा शुल्क चौकी
 - (छ) टैरिफ मूल्य

- a. Customs area
- b. Assessment
- c. Proper Officer
- d. Goods
- e. Indian Customs Waters
- f. Land Customs Station
- g. Tariff Value

प्रश्न 2. किन्ही दस (10) के लिये सीमा शुल्क अधिनियम 1962 से सम्बन्धित धाराओं का उल्लेख करें।

Q 2. Quote the relevant Sections of the Customs Act, 1962 of ANY TEN of the following:-

- 1. शुल्क लगाने योग्य वस्तुए
- 2. वस्तुओं का मूल्यांकन
- 3. शुल्क निर्धारण
- 4. धन वापसी के लिये दावा
- 5. आयातित वस्तुओं के संरक्षण व निष्कासन पर रोक
- 6. गोदाम के लिए बांड
- 7. पुनः निर्याति वस्तुओं पर ड्रा बैक
- 8. भंडार का पारगमन (ट्रांजिट) और एक जहाज से दूसरे जहाज पर लाना (ट्रांसिपमेंट)
- 9. वाहनों का अधिग्रहण
- 10. अधिग्रहण व जुर्माना लगाने सम्बन्धी न्यायनिर्णय
- वस्तुओं के अधिग्रहण के पहले कारण बताओं नोटिस जारी करना
- 12. सेटलमेंट (निपटारे) के लिये आवेदन
- 13. शक्तियां प्रदान करना
- 14. नियमावली के लिये सामान्य प्रावधान

- 1. Dutiable goods
- 2. Valuation of goods
- 3. Assessment of duty
- 4. Claim for refund of duty
- 5. Restrictions on custody and removal of imported goods
- 6. Warehousing bond
- 7. Drawback in case of re-export of goods
- 8. Transit and Transshipment of Stores
- 9. Confiscation of conveyances
- 10. Adjudication of confiscation and penalties
- 11. Issue of show cause notice before confiscation of goods
- 12. Application for settlement of cases
- 13. Delegation of Powers
- 14. General Power to make regulations

प्रश्न 3 निम्नलिखित में से किन्हीं तीन (3) पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें।

Q.3. Write Short Notes on any three of the following:-

- (क) गलत तरीके से दिये गये ड्रॉ बैक को प्राप्त करना।
- (ख) घोषित मूल्य / ट्रांजेक्शन मूल्य को अस्वीकार करना।
- (ग) अनुचित तरीके से निर्यात का प्रयास करते हुये पाये जाने वाली वस्तुओं का अधिग्रहण।
- (घ) गोदाम नियमावली के अर्न्तगत उत्पादन एवं अन्य गतिविधियाँ।
- Recovery of amount of drawback erroneously paid
- Rejection of declared value/Transaction value
- c. Confiscation of goods attempted to be improperly exported
- d. Manufacture and other operations in warehouse regulations

प्रश्न 4. निम्नलिखित में अंतर कीजिए :

Q.4. Differentiate between

- (क) पोर्ट एवं आई०सी०डी०
- (ख) निर्यात संवर्धन यूनिट (ई0ओ०यू०) एवं विशेष आर्थिक जोन
- (ग) आई०सी०डी० / सी०एफ०एस०
- (घ) सीमा शुल्क एवं अतिरिक्त सीमा शुल्क
- (ङ) सेफगार्ड शुल्क / एंटी डंपिग शुल्क

- a. Port and ICD
- b. EOU and SEZ
- c. ICD and CFS
- d. Customs duty and additional duty of customs
- e. Safeguard duty and anti-dumping duty

प्रश्न 5. सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1985 के अर्न्तगत निम्नलिखित को वर्गीकृत कीजिए :

Q.5. Classify the following goods under Customs Tariff Act 1985.

- (क) इलेक्ट्रिकल जेनरेटर a. Electrical Generators
- (ख) वायरिंग हारनेस b. Wiring Harness
- (ग) डिटर्जेन्ट पाउडर c. Detergent powder
- (घ) कम्प्यूटर्स d. Computers
- (ङ) एयर कंडीशनर्स e. Air Conditioners
- (च) माइक्रोवेव ओवन
- (छ) शस्त्रों के लिये चमड़े g. Lea
- का कवर (ज) गैस स्टोव
- (झ) किस्टलाइज्ड मैग्नीशियम आक्साइड
- मैग्नीशियम आक्साइड ण) निकल सिल्वर स्क्रैप
- f. Microwave oven
- g. Leather cover for firearms
- h. Gas Stove
- i. Crystallized magnesium oxide
- j. Nickel Silver Scrap

प्रश्न 6. विदेश व्यापार नीति से सम्बन्धित निम्नलिखित में किन्ही दो (2) पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए।

Q.6. Write a short note of any two of the following with reference to Foreign Trade Policy

- (क) ई0ओ0यू० / इ0टी0पी० / बी0टी0पी० इकाइयों द्वारा शुद्व विदेशी मुद्रा की आमदनी।
- (ख) ई0ओ०यू० यूनिट द्वारा घरेलू क्षेत्र में बिकी की उपलब्धता एवं तत्सम्बन्धी विशेषताएं।
- (ग) निर्यात संवर्धन पुंजीगत वस्तु सम्बन्धी योजना।
- (घ) फोकस मार्केट योजना एवे फोकस प्राडक्ट्स योजना।
- a. Net Foreign Exchange Earning by EOU/EHTP/BTP units
- b. DTA sale Entitlement for EOU and its salient features
- c. Export Promotion capital Goods Scheme
- d. Focus Market Scheme and focus product scheme

प्रश्न 7. किन्ही चार (4) को स्पष्ट करें :-

Q.7. Explain any four of the following

- (क) मामलों का सेटिलमेंट
- (ख) अपील-आयुक्त के समक्ष अपील
- (ग) ट्रांसफर ऑफ रेजिडेंस नियमावली
- (घ) शुल्क का ड्रा बैक और विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम
- (ङ) कर मुक्त केडिट प्रपत्र

- a. Settlement of cases
- b. Appeals to Commissioner (Appeals)
- c. Transfer of residence Rules
- d. Link of duty drawback and FEMA
 Duty free credit scrips

प्रश्न 8. किन्ही दो (2) पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे :

Q.8. Write short note on any Two of the following

- (क) विशेष आर्थिक जोन द्वारा घरेलू क्षेत्र में बिकी एवं इसकी विशेषताएं।
- (ख) विशेष आर्थिक जोन के विकास कर्ता और अनुमित देने योग्य गतिविधियां।
- (ग) विशेष आर्थिक जोन के लिये अधिसूचना व प्रोसेसिंग क्षेत्र तथा गैर प्रोसेसिंग क्षेत्र।
- (घ) युनिट एप्रवल कमेटी एवं बोर्ड ऑफ एप्रवल।

- a. DTA sale by SEZ units and salient features
- o. SEZ developer and permissible operations
- c. Notification of SEZ and Processing area and non-processing area
- d. Unit Approval Committee and Board of Approval
